EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 929—933

Dated : 9-8-2014

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) परिमंडल कार्यालय अधीक्षक भर्ती, नियम, 1978 तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय)प्रधान लिपिक भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय)कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख')भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक कार्यालय	601* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 93,00— 34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्थापना, प्रशासन, ई- गर्वेनेंस मोड्यूल्स और रिकार्ड का कंप्यूट्रीकरण, सूचना का अधिकार अथवा न्यायालय या बजट या संसदीय मामले एवं संबंधी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण-1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिहोंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

	(11)
	टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधरित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -अध्यक्ष (2) अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य (3) अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 48(1)/4/2009-एस एंड डी/इडब्ल्यू-II]
आर. एस. मीना, डेस्क अधिकारी (ईडब्ल्यू-2)

(Central Public Works Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2014

G. S. R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Circle Office Superintendent Recruitment Rules, 1978 and Central Public Works Department (Subordinate Offices) Head Clerk Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Central Public Works Department Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Office Superintendent (Group 'B') Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Office Superintendent	601* (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4200.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion	**Promotion :** Upper Division Clerks in the pay band 1, ₹ 5200- 20200 with grade pay of ₹ 2400 in the subordinate offices of Central Public Works Department having ten years regular service in the grade and have successfully completed training course on establishment or administration e-governance modules, computerisation of records and in matters relating to right to information court cases, budget and parliamentary procedure.

(11)
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their serniors would also be considered provided they are not short of the requisite qulifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : — 1. Chief Engineer Central Public Works Department —Chairman 2. Superintending Engineer, Central Public Works Department —Member 3. Superintending Engineer, Central Public Works Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 48(1)/4/2009-S&D/EW- II]

R. S. MEENA, Desk Officer (EW-2)

MGIPRRND—3153 UD/2014—100 Copies.